राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2495/2011/झुंझुनूं.

मैसर्स श्री श्याम स्टोन क्रेशर कम्पनी प्रा0 लि0, झुंझुनूं. ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, झुंझुनूं. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/06/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 242/आरवैट/झुन्झुनू/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, झुन्झुनूं (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25(1), 18(1), 55, 58 व 64 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी स्टोन क्रेशर का व्यवसाय करता है। आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के दौरान अपीलार्थी द्वारा पत्थर से ग्रिट, स्टोन ब्लास्ट व स्टोन डस्ट/बजरी का निर्माण कर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत स्टोन डस्ट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए करारोपण किया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त माल को बजरी बताते हुए इस पर रूपये 6/– प्रति टन की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 को पारित करते हुए अन्तर कर रूपये 53,143/– एवं तदनुसार ब्याज रूपये 15,943/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार..............2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा पत्थर से ग्रिट एवं स्टोन डस्ट का निर्माण कर विक्रय किया जाता है, जिसका उपयोग मकानों के निर्माण/चिनाई में किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता मानते हुए तद्नुसार करारोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा स्टोन डस्ट का विक्रय किया गया है, जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता बनती है, जबकि व्यवहारी द्वारा रूपये 6/— प्रति टन की दर से कर वसूल किया गया है। इस प्रकार कम दर से कर वसूल किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अतिरिक्त कर एवं ब्याज पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में विवाद बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद स्टोन डस्ट बजरी का ही एक रूप है अथवा बजरी से पृथक। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए यह अवधारित किया है कि बजरी का निर्माण प्राकृतिक तरीके से नदियों के द्वारा होता है, जबकि स्टोन डस्ट का निर्माण स्टोन क्रेशर के माध्यम से किया जाता है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टोन डस्ट को बजरी से पृथक उत्पाद मानते हुए सामान्य दर से करारोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष